श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

डॉ सुरेश कुमार शर्मा
वित्त नियंत्रक

क्रमांक : एफ.3( )श्रीकनकृविवि/वि.नि./2024-25/ 1143-32 दिनांक : 27/02/2025

-: कोटेशन के लिए अनुरोध :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के लिए वैधानिक अंकेक्षण की नियुक्ति की जानी है। महालेखाकार के अंकेक्षण पेनल में रजिस्टर्ड Chartered Accountant फर्म का नवीनतम बायोडेटा मय (अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में 01 वर्ष तक किये गये अंकेक्षण कार्य सहित) संलग्न कर प्रेषित कराऐं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षण के रूप में आप द्वारा अपेक्षित अंकेक्षण शुल्क का विवरण भी निम्न प्रारुप में प्रेषित करें :-

क्र. स.	कार्य का नाम	अपेक्षित/प्रस्तावित अंकेक्षण शुल्क राशि (रूपये में)
1	विश्वविद्यालय के वार्षिक अंतिम लेखों के प्रमाणीकरण हेतु एक मुश्त प्रारिश्रमिक वार्षिक अंतिम लेखें प्रमाणीकरण की वर्तमान दर रूपये 10000+GST	

इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त कोष एवं उनके उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के लिए प्रति उपयोगिता प्रामण पत्र निम्नानुसार दर से पारिश्रमिक अतिरिक्त देय है :-

उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि (रूपये में)			
1 लाख तक	1 लाख से अधिक किन्तु 5 लाख तक	5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक	10 लाख से अधिक
195+GST	400+GST	500+GST	550+GST
आप द्वारा अपेक्षित/प्रस्तावित दर राशि (रूपये में)			

सम्बन्धित वैधानिक अंकेक्षण को विश्वविद्यालय के आयकर, सेवाकर आदि मामलों पर भी परामर्श/कार्यवाही यथा आवश्यक प्रमाण पत्र आदि देना होगा।

अतः नवीनतम बायोडेटा मय स्वायत्तशासी संस्थाओं में किये गये अंकेक्षण के प्रमाण सहित प्रस्ताव दिनांक 06.03.2025 दोपहर 12:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित कराऐं। अपूर्ण एवं निधारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।

शर्ते :-

1. **तुलन पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 को दिनांक 30.09.2025 तक तैयार करना होगा।**
2. **तुलन पत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय पर उपस्थित रहकर समस्त सूचनाऐं संकलित कर तैयार करना होगा।**
3. **इस विश्वविद्यालय में 10 दिवस तक की उपस्थिति तक किसी प्रकार के यात्रा भत्ते का भुगतान देय नहीं होगा विश्वविद्यालय मे 10 दिवस से अधिक कि उपस्थिति पर सहायक आचार्य के न्युनतम वेतनमान के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।**

भवदीय

sd

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।

27/2/25

वित्त नियंत्रक